रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042026-271721
CG-DL-E-11042026-271721

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1789] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948
No. 1789] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन)

(नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

का.आ. 1858(अ).— अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1114 (अ), तारीख 12 मार्च, 2018 द्वारा, 12 मार्च, 2018 को महानदी जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन अतंर्राज्यीय महानदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

और उक्त अधिकरण को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय को तीन वर्ष के भीतर, अर्थात, तारीख 11 मार्च 2021 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करना अपेक्षित था;

और अपरिहार्य कारणों से उक्त अधिकरण अपनी रिपोर्ट तीन वर्ष की उक्त अवधि में प्रस्तुत नहीं कर सका;

और उक्त अधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था;

और केंद्रीय सरकार ने, अधिसूचना संख्या का.आ. 2176 (अ.), तारीख 3 जून, 2021 के माध्यम से उक्त अधिकरण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 के उप- धारा (2) के अधीन रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत किए जाने की अवधि की दो वर्षों अर्थात 11 मार्च, 2023 तक या निर्णय और विनिश्चय प्रस्तुत किए जाने तक, जो भी पूर्वतर हो, बढ़ा दिया था;

और उक्त अधिकरण ने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि सरकार उक्त अधिकरण द्वारा पहली नियमित सुनवाई किए जाने की तारीख अर्थात 14 दिसंबर, 2019 पर विचार करे जो उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए अधिकरण की स्थापना की प्रभावी तारीख है;

और उक्त अधिकरण ने केंद्रीय सरकार से कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 से जून 2021 तक की अवधि को अधिकरण के लिए गैर-कार्यात्मक और अलंकृत अवधि के रूपे में विचार करने का अनुरोध किया था;

और केंद्रीय सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी प्रकार के मामलों में दिए गए निदेशो को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय किया था कि उक्त अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 14 दिसंबर, 2019 होगी और उक्त अधिकरण के लिए मार्च, 2020 से जून, 2021 (सोलह मास) की अवधि को अपरिहार्य कारणों से गैर-कार्यात्मक और अलंकृत अवधि माना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि, जो उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन आबंटित की गई है, 13 अप्रैल, 2024 को समाप्त हुई मानी जाएगी;

और केंद्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानदी जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 14 अप्रैल, 2024 से दो वर्ष की अवधि, अर्थात् 13 अप्रैल, 2026 को या उससे पहले, या उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत किए जाने तक, जो भी पूर्वतर हो, बढ़ा दिया था;

और उक्त अधिकरण ने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि मार्च 2024 में तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर के त्याग पत्र से लेकर नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक की लगभग नौ मास की अवधि को गणपूर्ति की कमी के कारण गैर-कार्यात्मक माना जाए और ऐसी अवधि के विस्तार का भी अनुरोध किया है जो केंद्रीय सरकार उचित समझे;

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानदी जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 14 अप्रैल, 2026 से नौ मास की अवधि, अर्थात् 13 जनवरी, 2027 को या उससे पहले, या उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत किए जाने तक, जो भी पूर्वतर हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. एन-70012/1/2021-बीएम अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर]

प्रदीप कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of water resources)

(RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2026

S.O. 1858(E).— Whereas, the Mahanadi Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the said Tribunal) was constituted on the 12th March, 2018 vide notification of the Government of India in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation number S.O. 1114(E), dated the 12th March, 2018, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), for the adjudication of water disputes regarding inter-State river Mahanadi and river valley thereof;

And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision as required under sub-section (2) of section 5 of the said Act within a period of three years, that is, on or before the 11th March, 2021;

And whereas, due to unavoidable reasons, the said Tribunal could not submit its report within the said period of three years;

And whereas, the said Tribunal requested the Central Government to extend the said period for submission of report and decision thereon;

And whereas, the Central Government vide notification number S.O. 2176 (E), dated the 3rd June, 2021, extended the period for submission of report and decision thereon by the said Tribunal for a period of two years upto the 11th March, 2023 or till the submission of report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act, whichever is earlier;

And whereas, the said Tribunal requested the Central Government to consider the date of holding the first regular hearing by the said Tribunal, that is, the 14th December, 2019 as the effective date of setting up of the Tribunal for the purposes of sub-section (2) of section 5 of the said Act;

And whereas, the said Tribunal also requested the Central Government to consider the period from March 2020 to June 2021 due to COVID-19 pandemic, as non-functioning and embellishing period for the Tribunal;

And whereas, the Central Government, having regard to the direction given by the Hon'ble Supreme Court in similar matters, decided that the effective date of constitution of the said Tribunal shall be the 14th December, 2019 and period from March, 2020 to June, 2021 (sixteen months) shall be treated as non- functional and embellishing period for the said Tribunal due to unavoidable reasons and the three-year period which was allocated under sub-section (2) of section 5 of the said Act is deemed to expire on 13th April, 2024;

And whereas, in exercise of the powers conferred under the proviso to sub- section (2) of the section 5 of said Act, the Central Government extended the period of submission of report and decision by the Mahanadi Water Disputes Tribunal for a period of two years with effect from the 14th April, 2024, that is, on or before the 13th April, 2026, or till the submission of report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act, whichever is earlier;

And whereas, the said Tribunal has also requested the Central Government to consider the period of nine months, consequent upon the resignation of the then Chairman Mr. Justice A.M. Khanwilkar in March, 2024 till the appointment of new Chairperson, as non-functional due to the lack of quorum and requested for extension of time as may deemed appropriate by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of report and decision by Mahanadi Water Disputes Tribunal for a period of nine months with effect from the 14th April, 2026, that is, on or before the 13th January, 2027, or till the submission of report and decision under sub-section(2) of section 5 of the said Act, whichever is earlier.

[F. No. N-70012/1/2021-BM Section-MOWR]

PRADEEP KUMAR AGRAWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.04.11 00:27:37 +05'30'